फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री शंकरलाल — **विपक्षी : श्री वरदीबाई**

किस्म मुकदमा – 88,188 रा.का.अ. — **पत्रावली संख्या : 58/15**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 30.12.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता वादी की एकरफा बहस पर मनन किया। प्रतिवादी सं. 1 से 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा वाद को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पूर्व में गणेश पिता गिरधारी ओड के नाम दर्ज थी, जो दस्तावेज प्रदर्श 5 से स्पष्ट होता है, एवं गणेश की मृत्यु के बाद विरासत से भूरकी के नाम दर्ज हो गई जो दस्तावेज प्रदर्श 1 से स्पष्ट होता हैं। वर्तमान में भूरकी की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस पत्रावली में प्रतिवादी सं. 1, 2 हैं। वादग्रस्त भूमि को गणेश पिता गिरधारी द्वारा दिनांक 27.08.1964 को वरदा (पिता जगा) बेटा दल्ला, लच्छा को विक्रय कर दी थी जो दस्तावेज प्रदर्श 4ए से जाहिर होता हैं। वरदा फौत होने से वरदा के वारिस प्रतिवादी सं. 3 से 12 हैं। उसके बाद वादग्रस्त भूमि को वरदा जी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.07.1980 से शंकरलाल पिता हीरा डांगी को विक्रय कर दी जो दस्तावेज प्रदर्श 3ए से जाहिर होता हैं। पत्रावली के अवलोकन से विक्रय का नामान्तरकरण पारित नहीं होने से वादग्रस्त भूमि गणेश के वारिसों में चली आ रही हैं। वादी द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री शंकरलाल, पीडब्ल्यू 2 श्री लोगर, पीडब्ल्यू 3 श्री मांगीलाल का पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, विक्रय पत्र दिनांक 30.07.1980 प्रदर्श 3ए, पन्द्रह रूपये के स्टाम्प पर लिखापढी दिनांक 27.08.1964 प्रदर्श 4, जमाबन्दी नकल सम्वत् 2023 से 26 प्रदर्श 5, खसरा सेटलमेन्ट प्रदर्श 6 पेश किये। वादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की हैं। वादी एक सद्भावी क्रेता हैं। अतः वादी वादग्रस्त भूमि की घोषणा करा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी सं. 1, 2 को पाबंद कराने का अधिकारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: **आदेश** ::

परिणामस्वरूप वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा जुनावास पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 2424, 2425, 2426, 2427 किता 4 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि में खातेदार भूरकी पिता गणेश के बजाय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.07.1980 के आधार पर वादी शंकरलाल पिता हीरा डांगी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें, वादी को भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 13:00:14 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 58/15 (वाद) GCMS No. : 2015/00073

उनवान

1. श्री शंकरलाल पिता हीरा डांगी निवासी आसणा तह. मावली।

..................वादी

बनाम

1. मु. वरदी बाई बेवा नवला ओड निवासी ओडो का मोहल्ला कुराबड तह. गिर्वा।
2. श्री लाला पिता नवला ओड निवासी ओडो का मोहल्ला कुराबड तह. गिर्वा।
3. श्री लच्छा पिता वरदा डांगी निवासी जूनावास तह. मावली।
4. श्री रामलाल पिता दल्ला डांगी निवासी जूनवास तह. मावली।
5. श्री मांगीलाल पिता दल्ला डांगी निवासी जूनावास तह. मावली।
6. श्री पंकज उर्फ केसु पिता उंकार डांगी निवासी जूनावास तह. मावली।
7. मु. पुष्पाबाई बेवा उंकार डांगी निवासी जूनावास तह. मावली।
8. श्री हीरालाल पिता भग्गा डांगी निवासी जूनावास तह. मावली।
9. श्री पन्नालाल पिता भग्गा डांगी निवासी जूनावास तह. मावली।
10. श्री हुकमीचन्द पिता धर्मचन्द डांगी निवासी जूनावास तह. मावली।
11. श्री तेजराम पिता धर्मचन्द डांगी निवासी जूनावास तह. मावली।
12. मु. मीरा बेवा रूपलाल डांगी निवासी जूनावास तह. मावली।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा जुनावास पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 2424, 2425, 2426, 2427 किता 4 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि में खातेदार भूरकी पिता गणेश के बजाय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.07.1980 के आधार पर वादी शंकरलाल पिता हीरा डांगी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें, वादी को भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.12.2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 13:00:14 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली